बिहार सरकार
कृषि विभाग
शुद्धि–पत्र

संचिका संख्या–2(गो०)सी०–2–177/16 (पार्ट)–   कृ०/पटना, दिनांक   2016

कृषि विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–571 दिनांक 17.11.2016, विभागीय पत्रांक–575 दिनांक–18.11.2016 एवं पत्रांक–576 दिनांक–18.11.2016 में अंकित "National Organic Certification Association (NOCA)" के स्थान पर "Natural Organic Certification Association (NOCA)" पढ़ा जाय।

2. अधिसूचना ज्ञापांक–571 दिनांक–17.11.2016, विभागीय पत्रांक–575 दिनांक–18.11.2016 एवं पत्रांक–576 दिनांक–18.11.2016 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(विनोद रजक)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक   /कृ0, पटना, दिनांक   2016

प्रतिलिपिः– कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक   /कृ0, पटना, दिनांक   2016

प्रतिलिपिः– श्री अरबिंदर सिंह, तत्कालीन कृषि निदेशक, बिहार, पटना सम्प्रति निदेशक उद्यान, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक   /कृ0, पटना, दिनांक   2016

प्रतिलिपि– श्री सनत कुमार जयपुरियार, तत्कालीन दियारा विकास परियोजना पदाधिकारी सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), कोसी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक   /कृ0, पटना, दिनांक   2016

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री कृषि, के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/कृषि निदेशक के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–1 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक   /कृ0, पटना, दिनांक   2016

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक   /कृ0, पटना, दिनांक   2016

प्रतिलिपि– संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना/सहरसा/कोषागार पदाधिकारी, पटना/सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक   /कृ0, पटना, दिनांक   2016

प्रतिलिपिः– प्रभारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ सी०डी० सहित प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांकः– 592   /कृ0,पटना,दिनांकः– 01/12/ 2016

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं कृषि विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/11/16

सरकार के अवर सचिव,

30.11.16

D:\PRAKASH SE-2\Adesh.Adhisuchna.sankalp.docx

151 ...

बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या–2(गो०)सी०–2–177/16 – 576 /कृ0, पटना, दिनांक 18/11/ 2016

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव,

सेवा में,

श्री अरबिंदर सिंह,
तत्कालीन कृषि निदेशक, बिहार, पटना,
सम्प्रति निदेशक उद्यान, बिहार, पटना।

विषयः– **स्पष्टीकरण देने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 2010–11 में टाल एवं दियारा विकास योजना के अन्तर्गत कुल रू० 1138.23 लाख की स्वीकृति दी गई थी। इस योजना के तहत जैविक सत्यापन कार्यक्रम हेतु एजेन्सी का चयन कृषि निदेशक के द्वारा किया जाना था। इस कार्य के लिये अभिरूचि के आमंत्रण के आधार पर प्राप्त छः फर्मों में से National Organic Certification Association (NOCA) का चयन किया गया। उक्त अवधि में आप कृषि निदेशक के रूप में पदस्थापित थें।

प्रथम किश्त के रूप में एजेन्सी को रू० 255 लाख का भुगतान किया गया। किन्तु जाँचोपरांत पाया गया कि NOCA द्वारा शर्तो का पालन नहीं किया गया। इसने सरकारी एजेन्सी को इस कार्य के लिये प्रशिक्षित नहीं किया। चयनित क्षेत्र समूह में किसानों को प्रशिक्षित नही किया गया। किसानों के बीच जैविक खेती के प्रचार–प्रसार तथा Organic एवं जैविक Input की आपूर्ति नही की गई। उत्पादों का प्रमाणीकरण तथा उत्पादों के पैकेजिंग और भंडारण की व्यवस्था में सहयोग नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि योजना का समुचित अनुश्रवण नहीं हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 09.10.2012 को कृषि निदेशक के स्तर पर हुई बैठक में द्वितीय किश्त के भुगतान की अनुशंसा की गई। उक्त के आलोक में आपसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

अतः पत्र–प्राप्ति से 15 दिनों के अन्दर में अपना स्पष्टीकरण कृषि विभाग को समर्पित करें, अन्यथा यह माना जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

17.11.16

विश्वासभाजन

17.11.2016

(सुधीर कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

4/5

बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या–2(गो०)सी०–2–177/16 – 575 /कृ0, पटना, दिनांक 18/11/2016

प्रेषक,

सुधीर कुमार
सरकार के प्रधान सचिव,

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना,

विषयः– **National Organic Certification Association (NOCA) एजेंसी के विरूद्ध टाल एवं दियारा विकास योजना के अन्तर्गत जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना के संबंध में। शर्तो का पालन नहीं करने तथा राशि गबन के लिए प्राथमिकी दर्ज करने तथा राशि की वसूली करने के संबधं में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 2010–11 में टाल एवं दियारा विकास योजना के अन्तर्गत कुल रू० 1138.23 लाख की स्वीकृति दी गई थी। इस योजना के तहत जैविक सत्यापन कार्यक्रम हेतु एजेन्सी का चयन कृषि निदेशक के द्वारा किया जाना था। इस कार्य के लिये अभिरूचि के आमंत्रण के आधार पर प्राप्त छः फर्मो में से National Organic Certification Association (NOCA) का चयन किया गया।

प्रथम किस्त के रूप में एजेन्सी को रू० 255 लाख का भुगतान किया गया। किन्तु जाँचोपरांत पाया गया कि NOCA द्वारा शर्तो का पालन नहीं किया गया है। इसने सरकारी एजेन्सी को इस कार्य के लिये प्रशिक्षित नहीं किया। चयनित क्षेत्र समूह में किसानों को प्रशिक्षित नही किया गया। किसानों के बीच जैविक खेती के प्रचार–प्रसार तथा Organic एवं जैविक Input की आपूर्ति नही की गई। उत्पादों का प्रमाणीकरण तथा उत्पादों के पैकेजिंग और भंडारण की व्यवस्था में सहयोग नहीं किया गया। उक्त के संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि संबंधित एजेंसी NOCA के विरूद्ध शर्तो का पालन नहीं करने तथा राशि गबन के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाए एवं राशि के वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। कृत कार्रवाई से अविलम्ब कृषि विभाग को सूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 18.11.2016

(सुधीर कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव,

(हस्ताक्षर) 17.11.16
o/c

3

बिहार सरकार
कृषि विभाग
अधिसूचना

सचिका संख्या-2 (गो०) सी०-2-177/16 कृ०/पटना, दिनांक 2016

श्री सनत कुमार जयपुरियार, (बिहार कृषि सेवा कोटि-1 (शष्य), वर्ग-2) तत्कालीन दियारा विकास परियोजना पदाधिकारी सम्प्रति उप निदेशक (शष्य), बिहार, पटना के विरूद्ध टाल एवं दियारा विकास योजना के अन्तर्गत जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना में चयनित फर्म National Organic Certification Association (NOCA) को प्रथम किस्त के रूप में 2 करोड़ 55 लाख रूपये का भुगतान किये जाने के पश्चात अनुश्रवण के अभाव में शर्तो के अनुरूप कार्य सम्पन्न करवाने में विफल रहने एवं अन्य आरोपों के कारण श्री जयपुरियार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित रहने की स्थिति में उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

अब इसलिए अनुशासनिक प्राधिकार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (i) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सनत कुमार जयपुरियार, तत्कालीन दियारा विकास परियोजना पदाधिकारी सम्प्रति उप निदेशक (शष्य), बिहार, पटना को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हैं।

यह भी आदेश दिया जाता है इस आदेश के प्रभावी रहने की अवधि में श्री सनत कुमार जयपुरियार, तत्कालीन दियारा विकास परियोजना पदाधिकारी सम्प्रति उप निदेशक (शष्य), बिहार, पटना का मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), सहरसा होगा और उक्त तत्कालीन दियारा विकास परियोजना पदाधिकारी सम्प्रति उप निदेशक (शष्य), बिहार, पटना सक्षम प्राधिकार के बिना पूर्वानुमति प्राप्त किए मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

2. निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।
3. विभागीय कार्यवाही का प्रस्ताव अलग से निर्गत किया जाएगा।
4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(विनोद रजक)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2016

प्रतिलिपि- श्री सनत कुमार जयपुरियार, तत्कालीन दियारा विकास परियोजना पदाधिकारी सम्प्रति उप निदेशक (शष्य), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2016

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री कृषि, के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/कृषि निदेशक के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-1 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,